अध्याय–IV
लेखे की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

अध्याय–IV लेखे की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

यह अध्याय, लेखे की गुणवत्ता तथा राज्य सरकार के वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं, और पूर्णता, पारदर्शिता, माप एवं प्रकटीकरण के संबंध में निर्देशों के अनुपालन का अवलोकन करता है।

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना पर आधारित एक बेहतर आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार, वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ ऐसे अनुपालनों की स्थिति प्रतिवेदन की समयबद्धता एवं गुणवत्ता, सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो यह राज्य सरकार को उनके आधारभूत उत्तरदायित्व के निर्वहन, रणनीतिक योजना का निर्माण एवं निर्णय लेने में सहायक होता है।

लेखे की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

4.1 राज्य सरकार के ऋण (गैर–बजट उधारी) को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (1) के अनुसार, राज्य सरकार भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर, राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर, यदि कोई हो, ऐसी सीमाओं के भीतर उधार ले सकती है, जो समय–समय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाए और सरकार संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटी दे सकती है, यदि कोई हो, जैसा निर्धारित किया गया हो।

राज्य सरकार को प्रतिभूति के रूप में सृजित आकस्मिक देयताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और एस0पी0वी0 तथा अन्य समकक्ष उपकरणों द्वारा उधारों से उत्पन्न वास्तविक देयता जहाँ पुनर्भुगतान की देयता राज्य सरकार के आवंटनों की है, का खुलासा करके जनहित में अपने राजकोषीय प्रचलनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

राज्य ने एस0पी0एस0ई0 के माध्यम से अतिरिक्त बजट उधारी का सहारा लिया। इन उधारियों को राज्य के समेकित निधि मे जमा नहीं किया जा रहा था, जिसका राज्य के ऋण मानदंडों पर प्रभाव पड़ा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार ने एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (एस0पी0एस0ई0) के माध्यम से गैर–बजट उधारी लिया, जैसा कि **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.1: वर्ष 2023–24 के दौरान गैर–बजट उधारियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संस्थान / इकाई	राशि
1	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0आर0डी0सी0एल0) (पथ निर्माण विभाग)	53.48
	कुल	**53.48**

(स्रोतः वित्त लेखे, 2023–24)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि गैर–बजट उधारी को लेखे मे शामिल करने के बाद, वर्ष 2023–24 में ऋण–शेष ₹ 53.48 करोड़ से अधिक होगा। तदनुसार, जी0एस0डी0पी0 अनुपात में कुल बकाया देनदारियों का 38.95 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

राज्य सरकार के वित्त लेखे, 2023–24 के अनुसार, राज्य ने ₹ 268.61 करोड़ (मुख्य शीर्ष 2425–00–190–0011 अंतर्गत) का सहायता / अनुदान, गैर–बजट उधारी (अर्थात् गैर–बजट उधारी के ब्याज भुगतान हेतु) के रूप में प्रदान किया।

राज्य ने संबंधित वित्तीय वर्ष के अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों मे गैर–बजट उधारी देयताओं को प्रदर्शित नहीं किया। ऐसी देयताओं के बजट दस्तावेजों मे अप्रदर्शित होने से राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति अपारदर्शी रह जाती है। यदि, राज्य सरकार अपने व्यय का वित्तपोषण करने के लिए, बिना विधायी अनुमोदन के गैर–बजट उधारी का सहारा लेती है, तो एक समयावधि मे राज्य की देयताएं काफी बढ़ सकती है और राज्य मे पूँजीगत परिसंपत्तियों/आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रमों के लिए निधियों के आवंटन हेतु राज्य सरकार की क्षमता सीमित हो सकती हैं।

4.2 ब्याज सहित जमा राशियों पर ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना

राज्य सरकार ब्याज सहित जमा/आरक्षित निधि पर ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। ब्याज सहित आरक्षित निधि/जमा पर देयताओं के निर्वहन नहीं किए जाने का विवरण **तालिका 4.2** में दर्शाया गया हैं।

तालिका 4.2: ब्याज सहित जमा/आरक्षित निधि के संबंध में ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	ब्याज सहित जमा का नाम	01 अप्रैल 2023 को शेष राशि	देय ब्याज		ब्याज भुगतान	कम ब्याज भुगतान
			दर (प्रतिशत)	बकाया		
1	सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना	258.16	7.10	18.33	29.84	(–) 11.51
2	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एस0सी0ए0एफ0)	566.71	3.35	16.66	7.07	9.59
3	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	1,687.87	8.50	133.22	33.77	99.45
4	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	372.02	8.50	53.36	6.60	46.76
कुल				**221.57**	**77.28**	**144.29**

(स्रोत: बिहार सरकार के वित्त लेखे, 2023–24)

सरकार द्वारा ब्याज सहित जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान के लिए ₹ 144.29 करोड़ की राशि का प्रावधान नहीं किया था। ब्याज देनदारी का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष के अतिकथन तथा राजकोषीय घाटा को उस सीमा तक कम बताया गया था।

4.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का सीधा अंतरण

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर–सरकारी संगठनों को पर्याप्त धनराशि सीधे अंतरित करती है। चूँकि, इन निधियों को राज्य बजट के माध्यम से नहीं दिया जाता है, अतः यह राज्य सरकार के लेखें में परिलक्षित नहीं होते हैं। ऐसे अंतरण संबंधित वर्षों के वित्त लेखे के खंड–II के ***परिशिष्ट–VI*** में प्रदर्शित होते हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान, भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 18,617.17 करोड़ अंतरित किये गये जो विगत वर्ष (₹ 24,302.19 करोड़) की तुलना में 23.39 प्रतिशत कम था। विगत पाँच वर्षों के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरण की प्रवृत्ति को **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया हैं।

चार्ट 4.1: कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा निधि का सीधा अंतरण

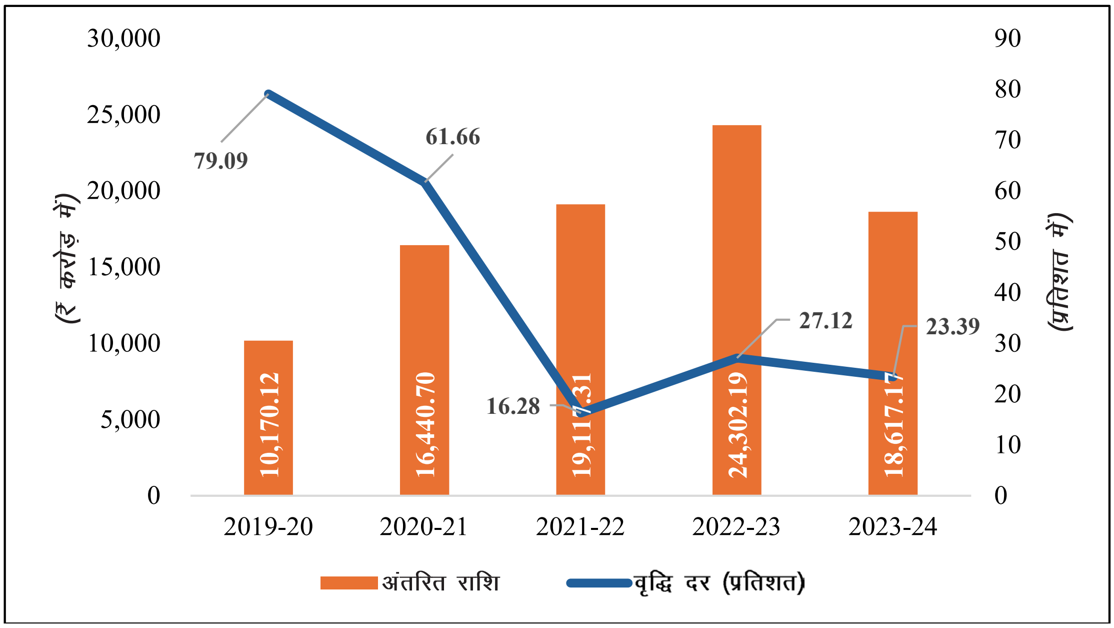

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुछ प्रमुख केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, जहाँ वर्ष 2023–24 के दौरान अधिकतम धनराशि राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की गई, वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न के विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी (₹ 6,557.64 करोड़), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (₹ 4,907.05 करोड़), और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम– केंद्रीय घटक (₹ 4,322.10 करोड़) थे।

वर्ष 2023–24 के दौरान, केंद्र प्रायोजित योजना (सी0एस0एस0) के अंतर्गत ₹ 18,617.17 करोड़ का केंद्रांश, राज्य की समेकित निधि को दरकिनार करते हुए सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित किया गया। राज्य सरकार के बजट और व्यय को ₹ 18,617.17 करोड़ तक संकुचित करने के अलावा, सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित किये जाने से सृजित परिसंपत्तियाँ राज्य लेखे में परिलक्षित नहीं हो पाई, जिससे लेखे अपूर्ण रहे।

4.4 स्थानीय जमा निधि

राज्य पंचायती राज अधिनियम प्रावधान करता है कि जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत (मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय जमा निधि–109–पंचायत निकाय कोष के अंतर्गत) संधारण कर सकेंगे। जिसमें अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किये जाने योग्य सभी निधि तथा पंचायती राज्य संस्थानों (पी0आर0आई0) द्वारा प्राप्त सभी निधि जैसे कि राज्य वित्त आयोग से हिस्से के रूप में केंद्रीय वित्त आयोग तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के साथ–साथ अपने स्वयं के राजस्व (कर एवं करेत्तर प्राप्तियों सहित) शामिल होंगे। नगरपालिका अधिनियम में यह भी परिकल्पना की गयी है कि नगरपालिका निधि, नगर निकाय द्वारा धारित होगा। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किये जाने योग्य सभी निधि के साथ–साथ नगर निकाय द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी निधि मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय जमा निधि–102–नगर पालिका निधि में रखा जाता है।

स्थानीय जमा निधि अंतर्गत नगर पालिका निधि एवं पंचायत निकाय कोष का विवरण **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3: स्थानीय जमा निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष				2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
नगर निकाय कोष	(8448–102)	प्रारंभिक शेष	1	3,307.66	3,743.56	5,033.79	6,225.03	6,019.66
		प्राप्तियाँ	2	2,469.66	3,913.13	4,066.75	2,600.45	4,545.47
		व्यय	3	2,033.77	2,622.90	2,875.51	2,805.82	4,522.02
		अंत शेष	**4**	**3,743.56**	**5,033.79**	**6,225.03**	**6,019.66**	**6,043.11**
पंचायत निकाय कोष*	(8448–109)	प्रारंभिक शेष	5	650.49	754.98	852.58	756.29	710.29
		प्राप्तियाँ	6	374.78	556.49	228.82	143.34	20.43
		व्यय	7	270.29	458.89	325.11	189.34	264.97
		अंत शेष	**8**	**754.98**	**852.58**	**756.29**	**710.29**	**465.75**

*(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे) *जिला परिषद और पंचायत समिति निधि शामिल*

जैसा कि **तालिका 4.3** से देखा जा सकता है कि बिहार सरकार विगत पाँच वर्षों से राजस्व एवं पूँजीगत मुख्य शीर्ष लेखे को डेबिट करके समेकित निधि से राशि को लोक लेखे अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8448 (स्थानीय जमा निधि) में अंतरित करती रही है। वर्ष के दौरान राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के रूप में नामित राशि राज्य के लोक लेखे के अंतर्गत "स्थानीय जमा निधि" में व्यक्तिगत बही खाता[1] में अवरूद्ध कर दी जाती है।

पिछले कुछ वर्षों में, वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंत तक जमा लेखे (मुख्य शीर्ष 8448) में ₹ 30,017.64 करोड़ (**तालिका 4.4** में वर्णित) संग्रहित किया गया है। जिसे संबंधित वर्षों में राजस्व या पूँजीगत व्यय के रूप में दर्शाया जा चुका है, लेकिन जमा शीर्ष में अव्ययित पड़ा है।

तालिका 4.4: स्थानीय जमा निधि की अंतरित राशि का प्रवृति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व			पूँजीगत			योग	8448 का अंतशेष राशि
	वित्त लेखे के अनुसार राजस्व व्यय	मुख्य शीर्ष 8448 में हस्तांतरित राशि जो व्यय के रूप मे नामित	राजस्व व्यय की प्रतिशतता (कॉलम 2)	वित्त लेखे के अनुसार पूँजीगत व्यय	8448 में हस्तांतरित राशि जो व्यय के रूप मे नामित	पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता (कॉलम 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+6)	9
2019–20	1,26,017	14,531	11.53	12,304	11,314	91.95	25,845	24,942.26
2020–21	1,39,493	11,876	8.51	18,209	9,167	50.34	21,043	28,573.60
2021–22	1,59,220	12,454	7.82	23,678	10,565	44.62	23,019	26,561.64
2022–23	1,83,976	8,781	4.77	31,520	9,965	31.61	18,746	26,927.43
2023–24	1,90,514	12,295	6.45	36,453	11,072	30.37	23,367	30,017.64

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और वी0एल0सी0 आँकड़ें)

जैसा कि **तालिका 4.4** मे वर्णित है, वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक की अवधि के दौरान, राशि को राजस्व और पूँजीगत व्यय के रूप मे नामित किया गया था लेकिन लोक लेखें के मुख्य शीर्ष 8448 में अंतरित कर दिया गया। इसके बाद, निधि को इस खाता शीर्ष के अंतर्गत अव्यवहृत रखा गया। लोक लेखे में अंतरित एवं अव्यवहृत राशि, वास्तविक व्यय के अतिकथन को इंगित करता है।

व्यक्तिगत बही खातों के विस्तृत विवरणी तथा उसमें रखी गयी राशियों के जानकारी के अभाव मे, लेखा परीक्षा द्वारा उनके प्रबंधन एवं उपयोग के बारे मे पता नहीं लगाया जा सका। स्थानीय जमा निधि लेखे मे निधि को अंतरित कर अवरूद्ध किए जाने के कारण प्रतीक्षित थे।

[1] *राज्य सरकार द्वारा गठित वैसे विशेष प्रयोजन उपक्रमों, बोर्ड, प्राधिकरणों, एजेंसी और सोसायटी आदि जिन्हें किसी रूप मे निधि प्राप्त करनी हैं (उदाहरणार्थ, अनुदान ऋण, सेंटेज आधार पर किए जाने वाले कार्य इत्यादि) के लिए व्यक्तिगत बही खाते खोले जाते हैं। यह खातें कोषागार में खोले जाते हैं तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संचालित किए जाते है। इस खातें में अप्रयुक्त धनराशि लगातार पाँच वर्षों के अंत में व्यपगत हो जाती है।*

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

4.5 उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति में विलंब

बिहार वित्तीय नियमावली (बी0एफ0आर0), 2005 के नियम 341 (2) के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान उतने ही अनुदान का भुगतान करना चाहिए जितनी कि वर्ष के दौरान व्यय होने कि संभावना हो। मार्च महीने में इन अनुदानों के सघन भुगतान के कोई भी अवसर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, बिहार कोषागार संहिता (बी0टी0सी0), 2011 के नियम 271(ई) के तहत सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) के विमुक्त किये जाने के तारीख से 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित किए जाएंगें। 18 माह पूर्व आहरित सहायक अनुदान विपत्रों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र के मामले में, कोषागार द्वारा बिना वित्त विभाग के विशेष आदेश के अगला अनुदान पारित नहीं किया जाएगा।

31 मार्च 2024 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की विवरणी **तालिका 4.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.5: 31 मार्च 2024 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की वर्षवार विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष*	उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	राशि
2016–17 तक	2,647	14,452.38
2017–18	525	3,746.64
2018–19	542	5,870.67
2019–20 और 2020–21	27,041	17,980.24
2021–22	15,348	16,014.34
2022–23	3,546	12,813.34
कुल	**49,649**	**70,877.61**

(स्रोत: वित्त लेखे, 2023–24)
**उल्लेखित वर्ष "लंबित वर्ष" से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 18 माह बाद।*

कुल ₹ 70,877.61 करोड़ में से, 14,452.38 करोड़ वर्ष 2016–17 तक की अवधि से संबंधित था। पाँच मुख्य चूककर्ता विभागों में पंचायती राज विभाग (₹ 28,154.10 करोड़), शिक्षा विभाग (₹ 12,623.67 करोड़), शहरी विकास विभाग (₹ 11,065.50 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹ 7,800.48 करोड़) और कृषि विभाग (₹ 2,107.63 करोड़) शामिल थे। शीर्ष दस चूककर्ता विभागों को **चार्ट 4.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.2: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), को 2023–24 तक अप्राप्त विभागवार उपयोगिता प्रमाण–पत्र

(₹ करोड़ में)

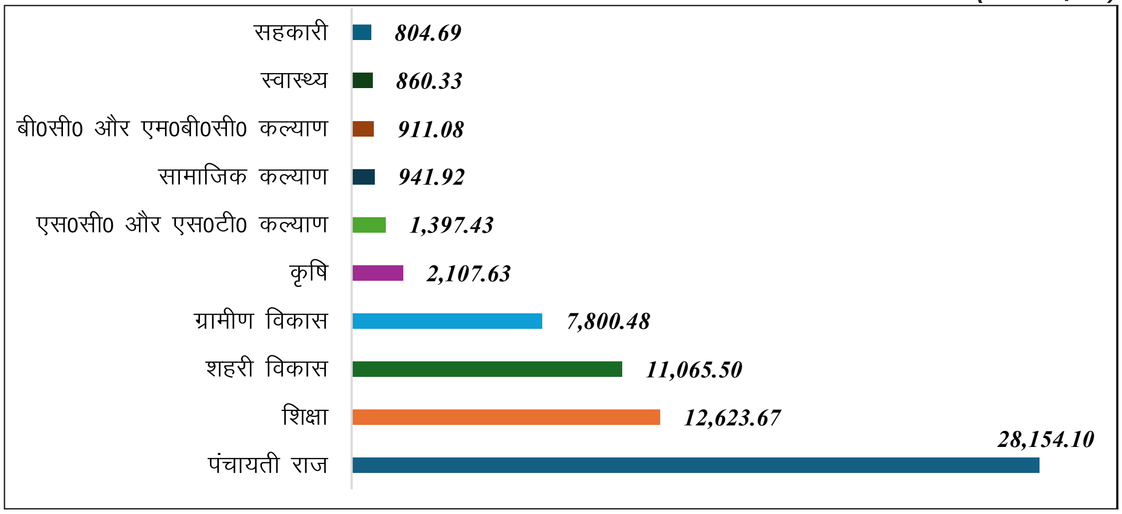

(स्रोत: महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

इसके अलावा, वर्ष 2020–21 से 2022–23 तक की अवधि में, लंबित श्रेणीवार सहायता–अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को **तालिका 4.6** में दर्शाया गया है: –

तालिका 4.6: वर्ष 2020–21 से 2022–23 तक की अवधि में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), को अप्राप्त श्रेणीवार सहायता–अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वेतन			परिसंपत्ति सृजन			वेतन और परिसंपत्ति के अलावा*		
	आहरित	समायोजित	शेष	आहरित	समायोजित	शेष	आहरित	समायोजित	शेष
2020–21	17,788.65	17,261.86	526.79	10,358.02	8,251.49	2,106.53	29,577.33	22,487.19	7,090.14
2021–22	23,813.12	22,325.48	1,487.64	14,103.45	8,673.33	5,430.12	33,307.41	24,210.90	9,096.51
2022–23 (09/2022 तक देय)	11,309.42	10,399.84	909.58	7,771.53	290.29	7,481.24	10,701.65	6,279.10	4,422.55
कुल	**52,911.19**	**49,987.18**	**2,924.01**	**32,233.00**	**17,215.11**	**15,017.89**	**73,586.39**	**52,977.19**	**20,609.20**

(स्रोत:ले0 एवं हक0 कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

**छात्रवृति/वजीफा शामिल*

उपयोगिता प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में यह सुनिश्चित नहीं है कि वितरित निधि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया था। इसके अलावा, भारी मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्रों का लंबित रहना गबन, दुर्विनियोजन और निधियों के विचलन के जोखिम को बढ़ाता हैं।

4.5.1 अनुदेयी संस्थाओं को "अन्य" अभिलेखित किया जाना

चूंकि, जी0 आई0 ए0 राज्य के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार अपने वार्षिक लेखें की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों का विवरण और स्वरूप प्रदान करे, जिन्हें निधि प्रदान की जा रही हैं। राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को संस्थान कोड निर्दिष्ट करने के लिए एक तंत्र हैं। राज्य सरकार ने सभी संस्थानों को संस्था कोड निर्दिष्ट नहीं किया था, जिससे इन अनुदानों को "अन्य" के रूप में दर्ज किया गया था, जिससे लेखे की पारदर्शिता प्रभावित हुई।

वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल सहायता अनुदान ₹ 77,600.47 करोड़ में से ₹ 46,522.00 करोड़ (59.95 प्रतिशत) 'अन्य' के रूप में दर्ज किया गया (***वित्त लेखे के परिशिष्ट–III***)। विगत तीन वर्षों में "अन्य" के रूप में सहायता अनुदान का कुल सहायता अनुदान की प्रतिशत प्रवृत्ति **चार्ट 4.3** में दर्शायी गयी है।

चार्ट 4.3: अनुदेयी संस्थानों का "अन्य" के रूप में अभिलेखन

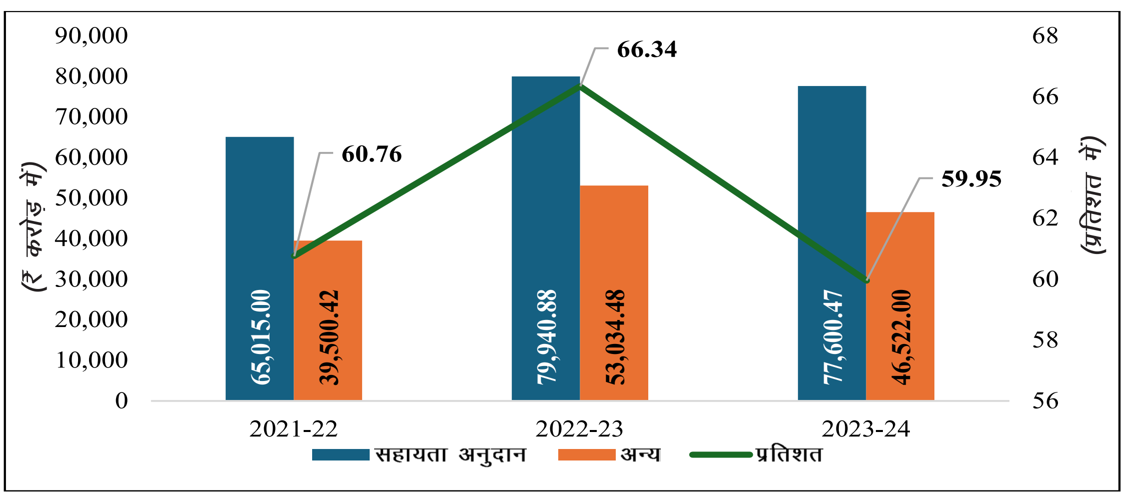

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों/निकायों/प्राधिकरणों को समुचित कोड निर्धारित नहीं किए जाने के कारण सभी संस्थाओं के विरुद्ध लंबित राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका, जिससे लेखे की पारदर्शिता प्रभावित हुई।

4.6 सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र

बिहार कोषागार संहिता (बी0टी0सी0), 2011 के नियम 177 में यह प्रावधान है कि आहरण और संवितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर आहरित निधि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा और अव्ययित राशि को उसी वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार में जमा करा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बी0टी0सी0, 2011 के नियम 194 के अनुसार, जिस महीने में ए0सी0 विपत्र आहरित कि गई हो उसके अगले छः माह के बाद, किसी भी मामले में, प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी0सी0) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोई भी सार आकस्मिक विपत्र का आहरण उक्त अवधि के बाद तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विस्तृत आकस्मिक विपत्र समर्पित नहीं कर दिया जाता। छः माह पहले आहरित ए0सी0 विपत्रों के विरूद्ध डी0सी0 विपत्रों के लंबित होने के मामले में, आगे ए0सी0 विपत्र वित्त विभाग के विशेष आदेश के बिना कोषागारों द्वारा पारित नहीं किया जाएगा।

आहरित ए0सी0 विपत्रों के विरूद्ध डी0सी0 विपत्रों के समायोजन की वर्षवार प्रगति **तालिका 4.7** में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.7: ए0सी0 विपत्रों के विरूद्ध डी0सी0 विपत्रों के प्रस्तुत किए जाने की वर्ष–वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान जोड़े गए		वर्ष के दौरान समायोजित किए गए		अंतशेष	
	समायोजन के लिए लंबित ए0सी0 विपत्रों की संख्या	राशि	आहरित ए0सी0 विपत्रों की संख्या	राशि	समर्पित डी0सी0 विपत्रों की संख्या	राशि	समायोजन के लिए लंबित ए0सी0 विपत्रों की संख्या	राशि
2021–22 तक	17,882	3,905.78	3,607	2,480.88	1,903	1,848.50	19,586	4,538.16
2022–23	19,586	4,538.16	4,382	6,149.30	2,322	3,567.44	21,646	7,120.02
2023–24#	21,646	7,120.02	844	2,296.33	360	210.59	22,130	9,205.76

(स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़ें और वित्त लेखें, 2023–24)

 # सितंबर 2023 तक आहरित ए0सी0 विपत्रों पर आधारित।

जैसा कि **तालिका 4.7** मे देखा जा सकता है, पिछले तीन वर्षो के दौरान, ₹ 10,926.51 करोड़ के कुल 8,833 ए0सी0 विपत्र आहरित किए गए थे और ₹ 5,626.53 करोड़ के 4,585 डी0सी0 विपत्र समर्पित किए गए थे। 31 मार्च 2024 तक, ₹ 9,205.76 करोड़ के 22,130 ए0सी0 विपत्र के विरूद्ध डी0सी0 विपत्र समर्पित किए जाने के लिए लंबित थे। कुल राशि ₹ 9,205.76 करोड़ में से ₹ 5,577.91 करोड़ (कुल बकाया का 60.59 प्रतिशत) पूँजीगत परिसंपत्ति के निर्माण से संबंधित है।

माह मार्च 2024 के दौरान ₹ 1,041.12 करोड़ (वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल आहरित 5,088 ए0सी0 विपत्रों की राशि ₹ 4,718.24 करोड़ का 22.06 प्रतिशत) के 1,648 ए0सी0 विपत्र आहरित किए गए। शीर्ष 10 मुख्य शीर्ष–वार लंबित डी0सी0 विपत्रों को **चार्ट 4.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.4: मुख्य शीर्षवार लंबित डी0सी0 विपत्र

(₹ करोड़ में)

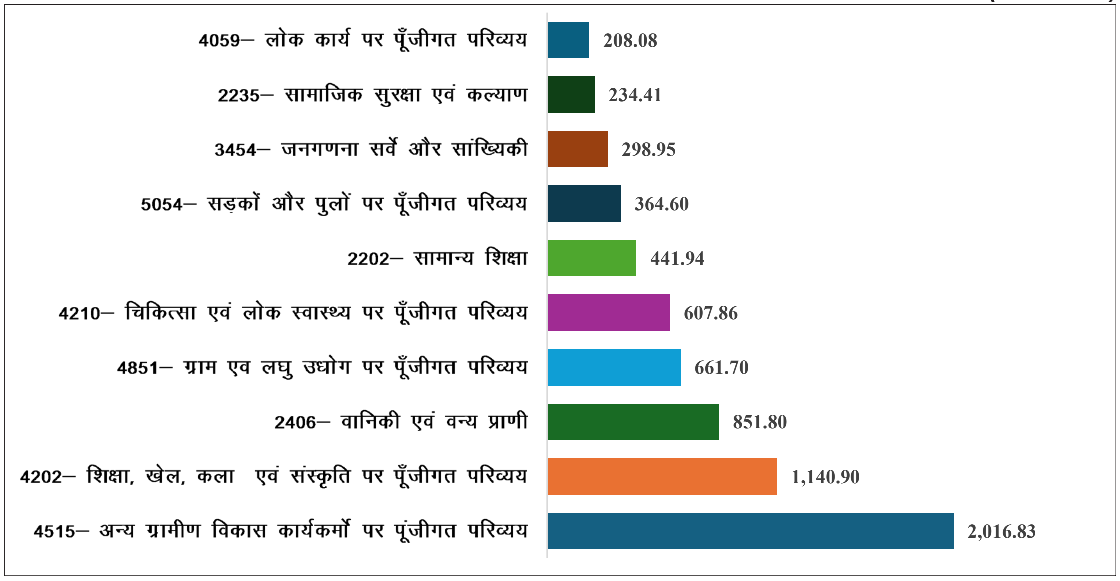

(स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़ें)

जैसा कि **चार्ट 4.4** में उल्लिखित, लंबित डी0सी0 विपत्र विभिन्न मुख्य शीर्ष– 4059, 4202, 4210, 4515, 4851 और 5054 के अंतर्गत पूँजीगत व्यय से संबंधित थे।

वित्तीय वर्ष के अंत में ए0सी0 विपत्रों के माध्यम से पूँजीगत परिसम्पत्ति निर्माण पर व्यय, लोक व्यय के कमजोर प्रबंधन को इंगित करता है। इससे यह भी इंगित होता है कि आहरण मुख्यतः बजटीय प्रावधानों को पूर्णतः समाप्त करने के लिए किया जा रहा था। अग्रिमों का लंबी अवधि तक असमायोजित रहना दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी के जोखिम से भरा होता है। निर्धारित समय के भीतर डी0सी0 विपत्र जमा न करना वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है और सार्वजनिक धन के दुरूपयोग के जोखिम को बढ़ाता है।

4.7 व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाता

बी0टी0सी0 2011 के नियम 339 में वर्णित है कि महालेखाकार को सूचना देते हुए, वित्त विभाग के लिखित प्राधिकार के बिना, कोई भी व्यक्तिगत जमा खाता कोषागार में नहीं खोला जाएगा। नियम 340(बी) में कहा गया है कि इस खाते का उपयोग केवल उन विशेष मामलों के लिए किया जाएगा, जहाँ सार्वजनिक हित में व्यय का प्रवाह सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से संभव नहीं होता है या बड़ी संख्या में छोटे लाभार्थी होते हैं जो कि दूर–दराज बिखरे हुए हों जिन्हें कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष संवितरण व्यवहारिक नहीं हो। पी0डी0 खातों में समेकित निधि से किया गया हस्तांतरण संबंधित सेवा मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अंतिम व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। पी0डी0 प्रशासकों को वित्तीय वर्ष के अंत में सभी पी0डी0 खातों की समीक्षा करने और लगातार पाँच वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष, जिसमें धन आहरण किया गया था को मिलाकर)[2] तक अव्ययित राशि को सेवा शीर्ष के व्यय में कमी कर समेकित निधि को हस्तांतरित करना आवश्यक है।

[2] *बिहार सरकार की अधिसूचना सं0 6679 दिनांक 23.08.2016।*

वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना[3] के अनुसार, "दिनांक 01.04.2019 से पहले खोले गए सभी पी0डी0/व्यक्तिगत बही (पी0एल0) खाता, दिनांक 01.04.2019 को सी0एफ0एम0एस0 में खोला हुआ माना जाएगा और पी0डी0/पी0एल0 खातों में अप्रयुक्त राशि बाद के पाँच वर्षों में व्यपगत हो जाएगा।" वर्तमान मे, निष्क्रिय पी0डी0 खातों की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है।

मार्च 2024 के अंत में 252 प्रशासकों के पास ₹ 2,180.46 करोड़ की राशि पड़ी थी, जैसा कि **तालिका 4.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.8: सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार वर्ष 2023–24 के दौरान पी0डी0 खातों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

01.04.2023 को आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान जोड़		वर्ष के दौरान समापन		31.03.2024 को अंतशेष	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
242	3,858.07	12	1,160.67	02	2,838.28	252	2,180.46

(स्रोत: वित्त लेखे, 2023–24)

टिप्पणी–₹ 1.54 करोड़ की शेष राशि वाले चार पी0डी0 खातों को सी0एफ0एम0एस0 में स्थानांतरित किया जाना बाकी था।

विगत पाँच वर्षों के अंत में पी0डी0 खातों में अंतशेष की राशि की प्रवृत्ति **चार्ट 4.5** में विस्तृत है।

चार्ट 4.5: 2019–20 से 2023–24 के दौरान पी0डी0 खातों में अंतशेष

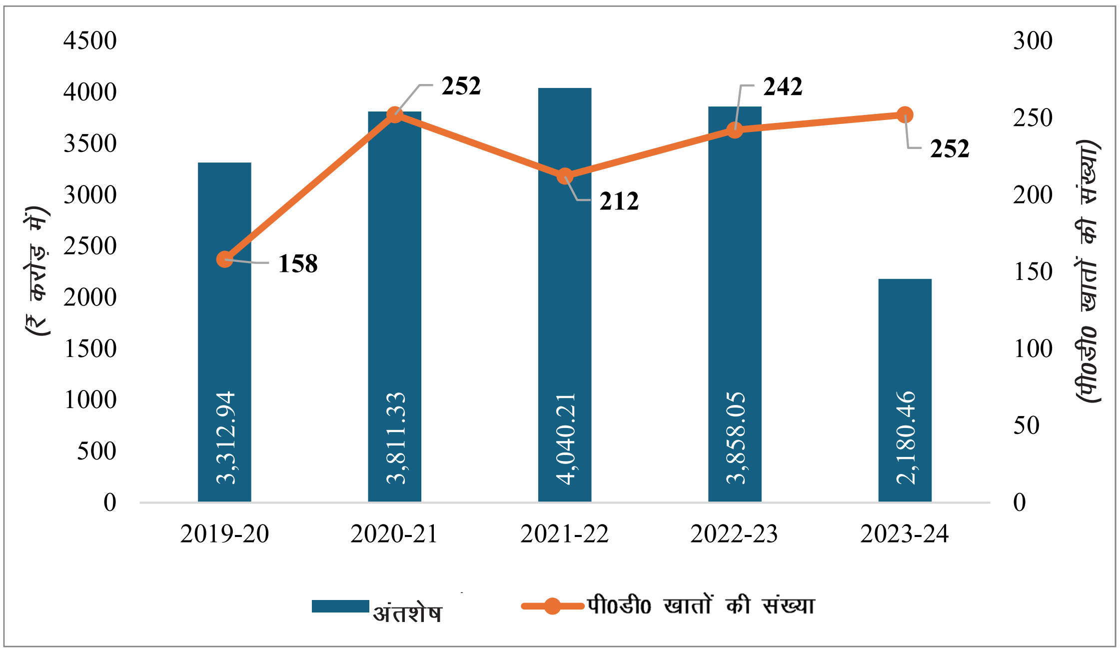

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पी0डी0 खातों के प्रशासकों को कोषागार आँकड़े के साथ अपने शेष राशि का समाशोधन एवं सत्यापन करना आवश्यक था। इसके अलावा, प्रशासकों को इस संबंध मे महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक था। हालांकि, वर्ष 2023–24 के दौरान, पी0डी0 खातों के 252 प्रशासकों में से केवल 44 प्रशासकों ने कोषागार आँकड़े के साथ अपने शेष राशि का समाशोधन एवं सत्यापन किया है। इसके अलावा, माह मार्च 2024 में पी0डी0 खातों में ₹ 230.75 करोड़ के हस्तांतरण ने इन खातों में अवरूद्ध धनराशि को उस सीमा तक बढ़ा दिया।

[3] *अधिसूचना सं0. एम0–4–02/2020–2916/एफ0 दिनांक: 03.06.2020।*

पी0डी0 खातों मे अवरूद्ध धनराशि का हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह विधायी संवीक्षा को सीमित करता हैं।

4.8 लघु शीर्ष "800" का अनुचित प्रयोग

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 को केवल तभी संचालित किया जाना चाहिए जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित व्यवहार को निरूत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह शीर्ष, संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि को नहीं दर्शाता है फलतः लेखे के पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 2,26,967.19 करोड़ के कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय में से लघु शीर्ष "800" के माध्यम से ₹ 148.77 करोड़ (0.07 प्रतिशत) का व्यय किया गया। इसके अलावा, कुल राजस्व प्राप्तियों ₹ 1,93,347.23 करोड़ में से ₹ 1,051.31 करोड़ (0.54 प्रतिशत) की प्राप्ति लघु शीर्ष "800" में नामित की गई थी।

लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यय और प्राप्तियाँ (संबंधित मुख्य शीर्ष का 50 प्रतिशत एवं अधिक) क्रमशः **तालिका 4.9** और **तालिका 4.10** में उल्लिखित हैं।

तालिका 4.9: वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लघु शीर्ष 800– "अन्य व्यय" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण व्यय (50 प्रतिशत एवं अधिक और वृहत प्राप्तियाँ नामित)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय के अनुपात में लघु शीर्ष '800' में व्यय का प्रतिशत
1	2270	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	1,315.26	12.37	0.94
2	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	46.14	43.98	95.31
3	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	109.32	84.87	77.63

(स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़ें)

तालिका 4.10: वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लघु शीर्ष 800 – "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ (50 प्रतिशत एवं अधिक और वृहत प्राप्तियाँ नामित)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के अनुपात में लघु शीर्ष '800' में प्राप्तियों का प्रतिशत
1	0029	भू–राजस्व	580.19	118.35	20.40
2	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	897.00	630.26	70.26
3	0055	पुलिस	217.10	108.80	50.12
4	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	196.03	91.91	46.89
5	0071	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभों के लिए वसूली का योगदान	8.42	5.43	64.49
6	0230	श्रम एवं रोजगार	9.50	5.95	62.63
7	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.19	0.19	100.00
8	0401	फसल कृषि कर्म	4.59	3.33	72.55
9	0851	ग्राम और लघु उद्योग	0.02	0.02	100.00

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के अनुपात में लघु शीर्ष '800' में प्राप्तियों का प्रतिशत
10	1053	नागरिक उड्डयन	0.33	0.33	100.00
11	1056	अंतर्देशीय जल परिवहन	0.01	0.01	100.00
12	1456	सिविल आपूर्ति	0.03	0.03	100.00

(स्रोतः वित्त लेखे, 2023–24, महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

इसके अलावा, वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत व्यय ₹ 640.26 करोड़ से घटकर ₹ 148.77 करोड़ तथा प्राप्तियाँ ₹ 948.22 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,051.31 करोड़ हो गई थी, जैसा कि **चार्ट 4.6** और **चार्ट 4.7** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.6 वित्त वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान लघु शीर्ष 800 –"अन्य व्यय" का संचालन

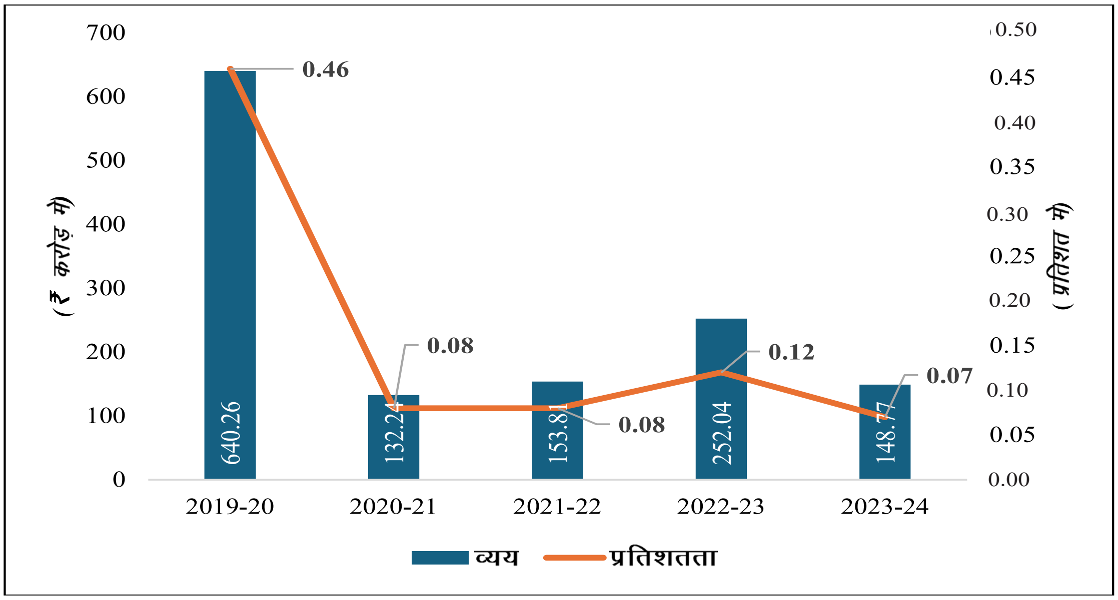

(स्रोतः वित्त लेखे, 2019–20 से 2023–24)

चार्ट 4.7: वित्त वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान लघु शीर्ष 800–"अन्य प्राप्तियाँ" का संचालन

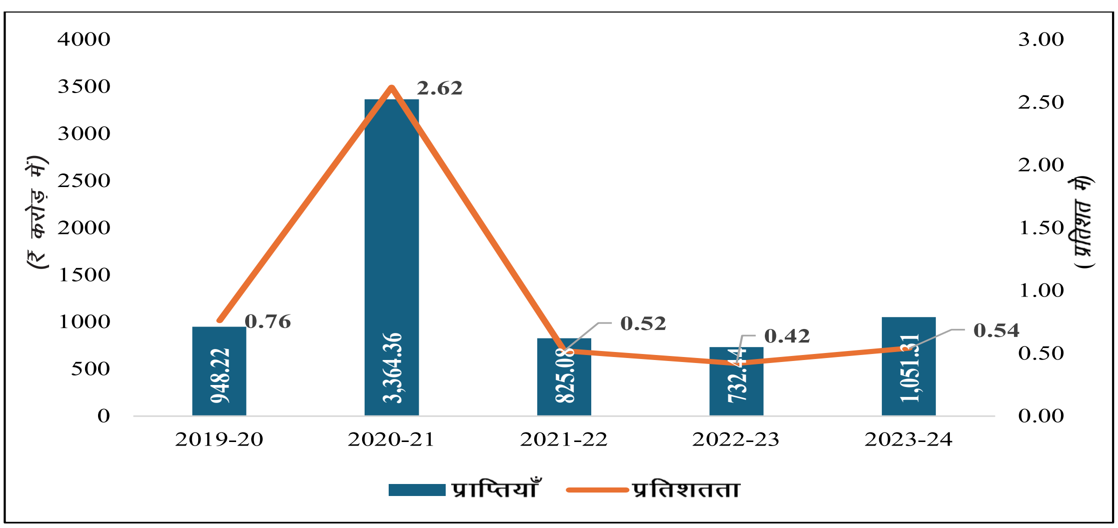

(स्रोतः वित्त लेखे, 2019–20 से 2023–24)

वर्ष 2023–24 के दौरान, लघु शीर्ष ''800'' के अंतर्गत वृहत व्यय, मुख्य शीर्ष 5475– अन्य समाजिक आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 84.87 करोड़) और 2250– अन्य सामाजिक सेवाएँ (₹ 43.98 करोड़) और वृहत प्राप्तियाँ मुख्य शीर्ष 0049– ब्याज प्राप्तियाँ (₹ 630.26 करोड़) के अंतर्गत नामित की गयी थी।

राजकोषीय प्रबंधन के अनुसार, लघु शीर्ष ''800'' का उपयोग केवल उन्हीं प्राप्तियों और व्यय के लिए किया जाना है जो अनावर्ती हों और तत्काल लेखा शीर्ष, जिसके तहत इसे नामित किया जा सकता है, आसानी से उपलब्ध नहीं हों।

लघु शीर्ष 800–''अन्य प्राप्तियाँ'' एवं ''अन्य व्यय'' के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण प्राप्तियों तथा व्यय का काल–क्रम आँकड़ा **तालिका 4.11** और **तालिका 4.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.11: काल–क्रम आँकड़े जहाँ लघु शीर्ष '800' ''अन्य प्राप्तियाँ'' के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ नामित की गई थीं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1.	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	478.10	3,063.65	531.27	363.98	630.26
2.	0230	श्रम और रोजगार	7.76	7.98	10.14	6.75	5.95
3.	0401	फसल कृषि कर्म	5.97	4.71	4.42	3.93	3.33
4.	1053	नागरिक उड्डयन	1.58	3.13	2.24	1.42	0.33

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 4.12: काल–क्रम आँकड़े जहां महत्वपूर्ण व्यय लघु शीर्ष 800–''अन्य व्यय'' के अंतगत नामित किए गए थे

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	21.25	17.01	49.26	23.84	43.98

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिमाणात्मक मामले

4.9 मुख्य उचंत और ऋण, जमा और प्रेषण (डी0डी0आर0) शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष

कतिपय मध्यवर्गी/समायोजन लेखा शीर्ष जो 8658– उचंत शीर्ष के नाम से जाना जाता है, सरकारी लेखे में प्राप्तियों एवं व्यय के वैसे लेन देन को प्रदर्शित करने के लिए संचालित होता है जिसे उसकी प्रकृति की जानकारी न होने के कारण अथवा अन्य कारणों से सुनिश्चित लेखा शीर्ष में अंकित नहीं किया जा सकता है।

वित्त लेखे, उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लंबित नामे तथा जमा शेष को अलग से जोड़कर तैयार किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंत तक कुछ मुख्य उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल राशि **तालिका 4.13** में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.13: उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2021–22		2022–23		2023–24	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
मुख्य शीर्ष 8658–उचंत						
101–पी0ए0ओ0 उचंत	365.08	0.00	641.14	280.41	345.49	35.42
निवल	नामे 365.08		नामे 360.73		नामे 310.07	
102– उचंत लेखा सिविल	16,195.57	1,409.66	14,109.96	277.76	4,943.34	71.22
निवल	नामे 14,785.91		नामे 13,832.20		नामे 4,872.12	
107–नकदी सामंजन उचंत लेखा	0	32.29	0	32.29	0	32.29
निवल	जमा 32.29		जमा 32.29		जमा 32.29	
109–रिजर्व बैंक उचंत मुख्यालय	261.71	(–) 0.01	257.16	(–) 0.24	67.19	63.86
निवल	नामे 261.72		नामे 257.40		नामे 3.33	
110–रिजर्व बैंक उचंत सी0ए0ओ0	1,249.60	894.62	358.24	(–) 0.02	1,254.37	898.86
निवल	नामे 354.98		नामे 358.26		नामे 355.51	
112–स्रोत पर कर कटौती उचंत (टी0डी0एस0)	1,572.73	1,857.17	1,279.66	1,805.05	0	62.88
निवल	जमा 284.44		जमा 525.39		जमा 62.88	
123–अ0भा0से0 ऑफिसर्स समूह बीमा योजना	0.44	6.04	0.32	5.66	0	5.19
निवल	जमा 5.60		जमा 5.34		जमा 5.19	
मुख्य शीर्ष 8782–नकद प्रेषण						
102–पी0 डब्ल्यू0 प्रेषण	16,754.96	15,835.85	919.11	0	16,754.96	15,833.47
निवल	नामे 919.11		नामे 919.11		नामे 921.49	
103–वन प्रेषण	3,147.44	2,943.90	203.54	0	203.54	0
निवल	नामे 203.54		नामे 203.54		नामे 203.54	

(स्रोतः वित्त लेखे 2021–22 से 2023–24)

वेतन और लेखा कार्यालय उचंत (पी0ए0ओ0 उचंत) – यह शीर्ष महालेखाकार (ले0 एवं हक0) और भारत सरकार के विभिन्न पी0ए0ओ0 कार्यालयों के बीच लेनदेन के निपटान के लिए है। इस मद के अंतर्गत बकाया नामे शेष राशि का मतलब होगा कि पी0ए0ओ0 की ओर से महालेखाकार द्वारा किए गए भुगतान अभी तक वसूल नहीं किए गए थे। बकाया जमा कोष का मतलब होगा कि पी0ए0ओ0 की ओर से महालेखाकार द्वारा प्राप्त राशि का भुगतान किया जाना बाकी था। यह लेन–देन मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, नई दिल्ली के साथ दावों से संबंधित हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंत में इस मद में ₹ 310.07 करोड़ का नामे शेष था। इसकी स्वीकृति/निपटान होने पर राज्य सरकार का नकद शेष बढ़ जाएगा।

उचंत लेखा (सिविल) – इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया आँकड़ों का एक बड़ा भाग ऐसे लेन–देन जहाँ वर्गीकरण का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है या जहाँ उसके समर्थन में प्रासंगिक अभिश्रव/अनुसूचियाँ उपलब्ध नहीं हैं या जहाँ भुगतान/नकद खातों की कोषागार अनुसूची में रिपोर्ट किए गए आँकड़ों और सहायक अभिश्रव, अनुसूची आदि में दिखाई देने वाले आँकड़ों के बीच कुछ विसंगति हैं। रेलवे, रक्षा, डाक और दूरसंचार विभागों इन प्राधिकरणों द्वारा दावों का निपटान निलंबित रहने के कारण होने वाले लेनदेन को भी शुरू में इस मद के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2023–24 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा ₹ 771.07 करोड़ का व्यय (राजस्व ₹ 448.88 करोड़ और पूँजीगत ₹ 322.19 करोड़) एवं ₹ 0.18 करोड़ की प्राप्तियों को दस्तावेजों जैसे उप–अभिश्रवों/चालानों/स्वीकृति पत्रों इत्यादि के अभाव मे उचंत

लेखें के अंतर्गत रखा गया। सरकार के कुल व्यय/प्राप्ति को उस सीमा तक कम करके आँका गया।

इस मद के अंतर्गत बकाया नामे शेष राशि का मतलब वैसे भुगतान से है जिन्हें विवरण के अभाव में अंतिम व्यय मद में नामे नहीं किया जा सकता था। बकाया जमा शेष का मतलब वैसी प्राप्तियों से है जिन्हें विवरण के अभाव में अंतिम रूप से प्राप्ति मद में जमा नहीं किया जा सकता था।

31 मार्च 2024 को इस मद मे ₹ 4,872.12 करोड़ का नामे शेष था।

नकदी सामंजन उचंत लेखे – एक ही वेतन और लेखा अधिकारी को लेखा समर्पित करने वाले लोक निर्माण प्रमंडलों के बीच लेन–देनों के निपटान के लिए लघु शीर्षों का उपयोग किया जाता है एवं इनका संचालन संकलित लेखा प्राप्त करने वाले वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किया जाता है। शीर्ष को तब जमा किया जाता है जब एक प्रमंडल दूसरे प्रमंडल की ओर से कुछ प्राप्तियों/राजस्व को स्वीकार करता है। बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होने या चेक/बैंक ड्राफ्ट जारी होने पर शीर्ष को नामे/जमा किया जाता है या चेक/बैंक ड्राफ्ट किसी अन्य प्रमंडल को/से जारी किया जाता है, जैसा भी मामला हो। 31 मार्च 2024 तक इस मद में जमा शेष ₹ 32.29 करोड़ जो काफी लंबी अवधि से पड़े थे।

रिजर्व बैंक उचंत, केंद्रीय लेखा कार्यालय – जहाँ दो सरकारों के बीच नकद शेषों का निपटान भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) के केंद्रीय लेखा अनुभाग को एडवाइस प्रेषित किया जाता है, वहाँ इस शीर्ष का उपयोग इस प्रकार के लेन–देनों को लेखांकित करने के लिए किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इनके मौद्रिक निपटान कर दिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित शीर्ष में राशि का अंतरण कर इस शीर्ष का समाशोधन/सामंजन किया जाता है। भारत सरकार के प्राप्त अनुदान/ऋण एवं उनके पुनर्भुगतान, आर0बी0आई0 के लोक ऋण कार्यालयों द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूतियों एवं उनपर देय ब्याज तथा आपूर्ति और निपटान महानिदेशक द्वारा सरकारी कार्यालयों को की गई आपूर्तियों के विरूद्ध किए गए भुगतान इस उचंत शीर्ष के माध्यम से निपटाए जाने वाले मुख्य लेनदेन हैं।

वर्ष 2023–24 के अंत मे, इस मद के अंतर्गत नामे शेष ₹ 355.51 करोड़ था। इस नामे शेष में पिछले वर्ष के ₹ 358.26 करोड़ से ₹ 2.75 करोड़ की कमी आई है।

लोक निर्माण प्रेषण – यह शीर्ष लोक निर्माण कार्यों के संभागीय अधिकारियों द्वारा कोषागार को प्रेषित राशि को स्वीकार किया जाता है या नहीं इसकी निगरानी के लिए संचालित किया जाता है। वर्ष 2023–24 के अंत में प्रमंडल कार्यालयों और कोषागारों के बीच समाशोधन नहीं होने के कारण ₹ 921.49 करोड़ की नामे शेष थी।

वन प्रेषण – वन प्रमंडलों द्वारा वन राजस्व के संग्रहण और राजकोष में उनका प्रेषण प्रारंभ में इस शीर्ष के अंतर्गत होता है। इस शीर्ष के अंतर्गत नामे शेष राशि का कोषागार खातों में दिखाई देने वाले जमा द्वारा निपटान किया जाता है जब प्रेषण को कोषागार अधिकारियों द्वारा स्वीकृत एवं लेखांकित किए जाते हैं। राजस्व की वास्तविक प्राप्ति और राजकोष में इसके प्रेषण के बीच समय अंतराल के कारण, इस शीर्ष के अंतर्गत प्रमंडलीय लेखे में दिखाई देने वाले जमा तब तक दिखाई देते रहेंगे जब तक कि किए गए प्रेषण का अंतिम रूप से कोषागार खातों में निपटान नहीं हो जाता है। 31 मार्च 2024 तक, इस शीर्ष में ₹ 203.54 करोड़ की नामे शेष थी।

उचंत और प्रेषण मदों का सामंजन/निपटान राज्य कोषागारों (कार्य और वन प्रभागों आदि सहित) द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरे पर निर्भर करती है। यदि ये असामंजित रह जाती है, तो उचंत शीर्ष

के अंतर्गत राशि का संचयन हो जाएगा और यह राजकीय व्यय की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रतिबिंबित नहीं कर पाएगी।

4.10 विभागीय संव्यवहारों का असमाशोधन

बिहार बजट संहिता, 2016 के कंडिका 96 के अनुसार, नियंत्री अधिकारियों को महालेखाकार के लेखे में दर्ज आँकड़े के साथ अपने मासिक/त्रैमासिक आँकड़े का मिलान करना आवश्यक है।

सी0एफ0एम0एस0 में ऑनलाइन समाशोधन मॉड्यूल विकसित नहीं किया गया हैं। इसलिए, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के लेखे के संव्यवहार को राज्य सरकार के अनुदान नियंत्री अधिकारियों द्वारा किए गए संव्यवहार के लेखे के साथ समाशोधन करने के लिए, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय मासिक लेखे में शामिल संव्यवहार से संबंधित डंप डाटा फाइल सुरक्षित फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल (एस0एफ0टी0पी0[4]), उपयोगिता का उपयोग करके सी0एफ0एम0एस0 मुख्य सर्वर में अपलोड करता है। यहाँ, महालेखाकार के संव्यवहार के आँकड़े का मिलान सी0एफ0एम0एस0 के आँकड़े से की जाती है, और विभागवार समाशोधन प्रतिवेदन (सी0एफ0एम0एस0 में) तैयार की जाती हैं। यह प्रतिवेदन सारे विभागों के एडमिन उपयोगकर्त्ता के साथ–साथ महालेखाकार (ले0 एवं हक0) एडमिन उपयोगकर्ता के लिए भी उपलब्ध रहता है। सभी विभागों के एडमिन उपयोगकर्ता समाशोधन प्रतिवेदन तैयार कर महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को भेजते है।

विगत तीन वर्षों के दौरान विभागीय संव्यवहारों के असमाशोधन की स्थिति को **चार्ट 4.8** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.8: विगत तीन वर्षों के दौरान विभागीय संव्यवहारों के असमाशोधन की स्थिति

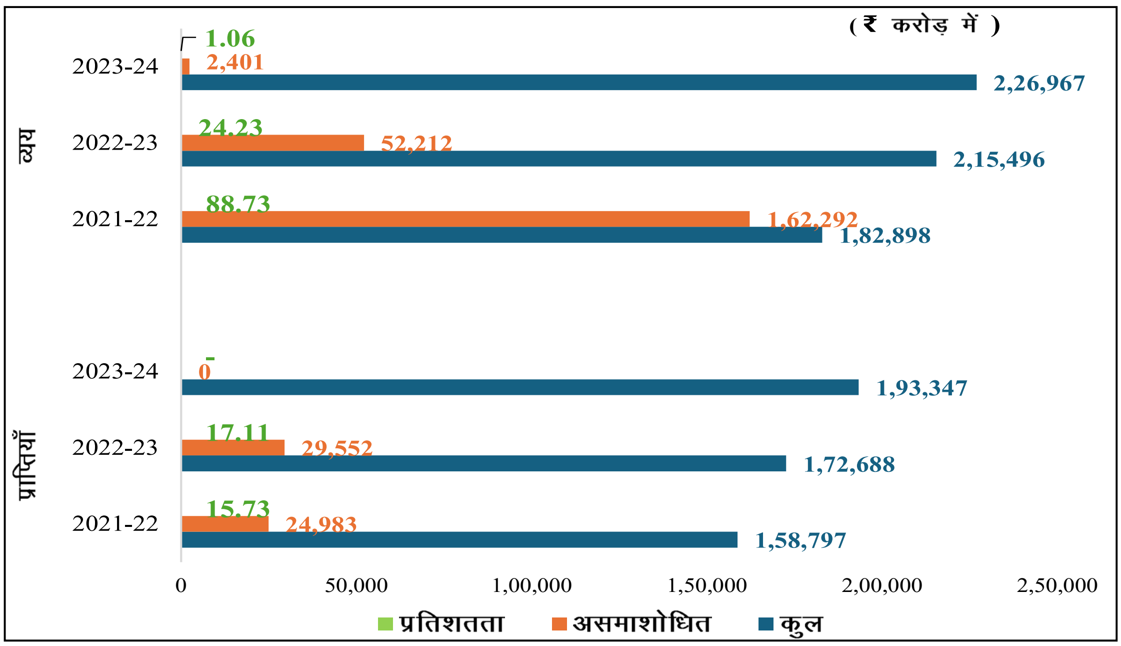

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़ें)

जैसा कि **चार्ट 4.8** मे देखा जा सकता हैं, वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य के प्राप्तियों का 100 प्रतिशत और व्यय का 98.94 प्रतिशत का समाशोधन किया गया।

4.11 नकद शेष का समाशोधन

महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के लेखे में दर्ज राज्य के नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) द्वारा प्रतिवेदित नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

[4] *एस0एफ0टी0पी0– यह एक सुरक्षित फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल है, जो फाइल स्थानांतरण भेजने और प्राप्त करने के एक उच्च स्तर के सुरक्षित शेल एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है।*

हालांकि, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के अभिलेख के अनुसार, 31 मार्च 2024 को नकद शेष ₹ 726.68 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 19.94 करोड़ (नामे) था। इस प्रकार, ₹ 746.62 करोड़ का शुद्ध अंतर था, जिसका मुख्य कारण कोषागार/आर0बी0आई0/एजेंसी बैंकों और कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के बीच लंबित समाशोधन था। यह अंतर समाशोधन के अधीन था।

4.12 लोक लेखे के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष (नामे शीर्ष में जमा शेष तथा जमा शीर्ष में नामे शेष) लेखे के उन शीर्ष के तहत दिखाई देने वाले नकारात्मक शेष है जहां नकारात्मक शेष नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी भी ऋण या अग्रिम शीर्ष के लेखांकन में एक नकारात्मक शेष, अग्रिम की मूल राशि की तुलना में अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करेगा।

प्रतिकूल शेष तब उत्पन्न होता है जब लेन–देन को नामे के बजाय गलती से जमा किया जाता है तथा जमा के बजाय गलती से नामे किया जाता है। वित्त लेखे, 2023–24 के अनुसार, विभिन्न 15 लेखा शीर्षों के तहत ₹ (–) 1,212.41 करोड़ का संचयी प्रतिकूल शेष ***(परिशिष्ट–4.1)*** था। वर्ष 2023–24 में, मुख्य शीर्ष 7610 में ₹ 0.26 करोड़ का एक नया प्रतिकूल शेष था।

यह प्रतिकूल शेष महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार कार्यालय और राज्य सरकार के बीच समाशोधन के अधीन था।

प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे

4.13 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नि0म0ले0प0) के सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखे का स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त भारत के नि0म0ले0प0 ने जवाबदेही तंत्र को सुदृढ करने एवं सरकारी लेखा और वित्तीय प्रतिवेदन के लिए मानक तैयार करने के लिए (2002) में एक सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जी0ए0एस0ए0बी0) की स्थापना की थी। नि0म0ले0प0 के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखा मानक (आई0जी0ए0एस0) अधिसूचित किए हैं। लेखांकन मानको का अनुपालन **तालिका 4.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.14: लेखांकन मानकों का अनुपालन

लेखांकन मानक	आई0जी0ए0एस0 का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
आई0जी0ए0एस0–1:			
सरकार द्वारा दी गयी प्रतिभूति–प्रकटीकरण आवश्यकता	प्रतिभूतियों का एकरूप और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करना, वर्गवार एवं प्रक्षेत्रवार प्रकटीकरण	वित्त लेखे में विवरणी 9 एवं 20 तैयार किये गये है। चूँकि राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विवरण वर्गवार एवं क्षेत्रवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, फलतः प्रकटीकरण अपूर्ण रहा। कुछ महत्वपूर्ण सूचना जैसे, वर्ष के दौरान लागू प्रतिभूति, ब्याज, कमीशन शुल्क आदि सूचना राज्य सरकार द्वारा वित्त लेखे मे उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपूर्ण रही।	सभी प्रत्याभूतिदाता, राज्य सरकार के विभागों और वर्ष के दौरान दी गयी प्रतिभूति, कमीशन की राशि, प्राप्त शुल्क का पता नहीं लगाया जा सका।
आई0जी0ए0एस0–2:			
सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	प्रदाता अथवा अनुदेयी दोनों के रूप में सहायता अनुदान का वर्गीकरण और लेखांकन	वित्त लेखे में विवरणी 10 तैयार की गयी थी। हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदान की विस्तृत सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।	वस्तु के रूप में प्राप्त सहायता अनुदान की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका। गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व घाटा कम तथा पूँजीगत व्यय को अधिक बताया गया।
आई0जी0ए0एस0–3:			
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	ऋण एवं अग्रिम के संबंध में मान्यता, माप, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग पूर्ण, सटीक और एकसमान लेखांकन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए, ऋणों एवं अग्रिमों पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए	वित्त लेखे में विवरणी 7 और 18 तैयार किये गये है। हालाकि, "अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया का पुनर्भुगतान", "शाश्वत रूप से ऋण के रूप मे स्वीकृत किए गए ऋण के मामले", वर्ष के दौरान उन ऋणी संस्थाओं को नए ऋण और अग्रिम जिनसे पूर्व के ऋणों की अदायगी बकाया हैं, के संबंध मे प्रकटीकरण अपूर्ण है।	राज्य सरकार द्वारा संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी फलतः "अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया का पुनर्भुगतान", "शाश्वत रूप से ऋण के रूप मे स्वीकृत किए गए ऋण के मामले", वर्ष के दौरान उन ऋणी संस्थाओं को नए ऋण और अग्रिम जिनसे पूर्व के ऋणों की अदायगी बकाया हैं, जिससे ऋण और अग्रिम के वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

(स्रोतः वित्त लेखे, 2023–24)

लेखा मानकों का गैर–अनुपालन वित्तीय विवरणों की पारदर्शिता को बाधित करने के अलावा वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह की एक सच्ची और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के उद्देश्य को प्रभावित करेगा।

4.14 एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता, जिनके लेखे को अंतिम रूप नही दिया गया

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 और 395 में प्रावधान है कि किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक रिपोर्ट उसके वार्षिक आम बैठक के तीन महीने के अंदर तैयार

की जानी हैं। ऐसे प्रतिवेदन तैयार हो जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधायिका के समक्ष, नि0म0ले0प0 के द्वारा लेखापरीक्षा के पूरक पर की गयी टिप्पणी तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति के साथ, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। उपरोक्त तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों और निगमों में निवेश किये गये लोक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता हैं।

राज्य सरकार ने 19 कार्यशील एस0पी0एस0ई0, एक सांविधिक निगम और 15 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0, जिनके लेखे 31 मार्च 2024 तक (30 सितम्बर 2024 तक) अंतिमीकृत नहीं किये गये थे, को ₹ 58,896.62 करोड़ की बजटीय सहायता (अंश पूँजी, ऋण, प्रतिभूति, पूँजीगत अनुदान और अन्य) प्रदान की। इन एस0पी0एस0ई0 ने कंपनी अधिनियम/संबंधित सांविधिक निगमों/एस0पी0एस0ई0 के अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पिछले एक से 47 वर्षों तक अपने लेखें को अंतिम रूप नहीं दिया था (***परिशिष्ट 4.2***)।

लेखें के अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि0म0ले0प0), कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं वैसे निगमों की सांविधिक लेखापरीक्षा, जैसा कि उनके अधिनियम में वर्णित है, करने में असमर्थ हैं। लेखें को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, सरकार के निवेश के परिणाम राज्य विधायिका के दायरे से बाहर रहते हैं और लेखापरीक्षा की जांच से बच जाते हैं। परिणामस्वरूप, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हो, समय पर नहीं किए जा सकते है। धोखाधड़ी और लोक धन के दुरुपयोग के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता हैं।

4.15 स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

नि0म0ले0प0 (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र, जिसमें विधान सभा हो, का प्रशासक, जब उसकी यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तब नि0म0ले0प0 से अनुरोध करेगा कि वह यथास्थिति, राज्य के या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्थापित किसी निगम के लेखे की लेखापरीक्षा करे और जब ऐसा अनुरोध किया गया हो तब, नि0म0ले0प0 ऐसे निगम के लेखे की लेखापरीक्षा करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उसे निगम के लेखे और बहियों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अतिरिक्त, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा नि0म0ले0प0 को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गई है, वहाँ यदि, उससे, यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें विधान सभा हो, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया हो तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा ऐसे नियम एवं शर्तों के अधीन करेगा जिसपर उसके और संबंधित सरकार के बीच सहमति हो और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उस निकाय या प्राधिकरण की बहियों और लेखे तक उसे पहुँच का अधिकार होगा (डी0पी0सी0 एक्ट, धारा 20)।

राज्य के 63 निकायों/प्राधिकरणों में से 53 निकायों/प्राधिकरणों (***परिशिष्ट 4.3***) ने लेखापरीक्षा हेतु वित्तीय विवरणी उपलब्ध नहीं करायी थी। शेष नौ निकायों/प्राधिकरणों के बकाया लेखे की विवरणी (बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग को छोड़कर) **तालिका 4.15** में दर्शाया गया है :—

तालिका 4.15: प्राधिकरणों और निगमों के बकाया लेखे

क्रम सं.	निकाय अथवा प्राधिकरण के नाम	लंबित लेखे का वर्ष	वित्तीय वर्ष 2023–24 तक लंबित लेखे की सं0
1.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	2022–23 से 2023–24	02
2.	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2010–11 से 2023–24	14
3.	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2016–17 से 2023–24	08
4.	बिहार विद्युत विनियामक आयोग	2023–24	01
5.	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बी0एस0एल0एस0ए0)	2023–24	01
6.	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	2020–21 से 2023–24	04
7.	बिहार भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण	2019–20 से 2023–24	05
8.	बिहार राज्य जैव–विविधता बोर्ड पटना	2017–18 से 2023–24	07
9.	बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	2022–23 से 2023–24	02

(स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा संकलित आँकड़ें)

लेखें को अंतिम रूप न देने के कारण हितधारक इन निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा, लेखे को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब से संबंधित विधायी प्रावधान, जिनके अंतर्गत इन निकायों का गठन किया गया था, के उल्लंघन के अलावा वित्तीय अनियमितताओं का पता नहीं चलने का जोखिम भी रहता हैं। लेखापरीक्षा चूककर्ता निकायों के लेखें को प्रस्तुत न किये जाने के मामलें को समय–समय पर संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उजागर करती रही है लेकिन इसमे कोई अपेक्षित सुधार नहीं होता है।

अन्य मुद्दे

4.16 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) को यह अपेक्षित होता है कि राज्य विधानमंडल में प्रतिवेदन की प्रस्तुति के बाद संबंधित विभागों द्वारा लेखापरीक्षा में वर्णित कंडिकाओं पर स्वतः संज्ञान लेकर टिप्पणी उपस्थापित की जाए। संबंधित विभागों से यह भी अपेक्षित होता है कि वे महालेखाकार को (पुष्टि के उपरांत लो0ले0स0 को अग्रेषण के लिए) विभागों द्वारा की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन (ए0टी0एन0) उपलब्ध कराएंगे।

वर्ष 2023–24 के दौरान, लो0ले0स0 द्वारा राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए कोई भी बैठक नहीं की गयी। वर्ष 2008–09 से 2021–22 तक के वर्षों से संबंधित 388 कंडिकाओं में से केवल तीन कंडिकाओं पर चर्चा की गई, और 385 कंडिकाएँ मार्च 2024 तक, चर्चा के लिए लंबित थे। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लो0ले0स0 द्वारा की गई बैठक की विवरणी **तालिका 4.16** में वर्णित हैं।

तालिका 4.16 लो0ले0स0 द्वारा आयोजित बैठकों की स्थिति

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	लो0ले0स0 द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या
1.	2018–19	03
2.	2019–20	01
3.	2020–21	02
4.	2021–22, 2022–23 एवं 2023–24	शून्य

(स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा प्रदत आँकड़ें)

आगे, विधायिका के सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद, वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को निर्देश जारी करने चाहिए थे कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सभी कंडिकाओं पर स्वतः समीक्षा एवं कार्रवाई प्रारंभ कर दें, भले ही इन मामलों की जाँच लो0ले0स0 द्वारा प्रारंभ की गई हो अथवा नहीं।

4.17 अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय का असमायोजन

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 177 के अनुसार, माँगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदान की समाप्ति को रोकने के लिए कोषागार से कोई भी निधि की निकासी नहीं की जाएगी। यदि विशेष परिस्थिति में अग्रिम के रूप में धनराशि का आहरण सक्षम प्राधिकार के आदेश के तहत किया जाता है, तो इस प्रकार आहरित राशि का अव्ययित शेष, अगले विपत्र में कम आहरण द्वारा अथवा चालान द्वारा यथाशीघ्र एवं किसी भी स्थिति में उस वित्तीय वर्ष, जिसमें धनराशि का आहरण किया गया हो, की समाप्ति के पूर्व कोषागार में वापस जमा करा दिया जाना चाहिए।

31 मार्च 2024 तक ₹ 184.52 करोड़ की असमायोजित अस्थायी अग्रिम और ₹ 25.46 करोड़ के असमायोजित अग्रिम थे। इन असमायोजित राशियों को समायोजित करके संबंधित कोषागार मे जमा करना आपेक्षित था।

असमायोजित अस्थायी अग्रिम और असमायोजित अग्रिम की राशि का विवरण **तालिका 4.17** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.17: 31 मार्च 2024 को असमायोजित अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग का नाम	असमायोजित अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय की कुल राशि		
		अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
1	भवन निर्माण	5.45	7.08	12.53
2	सिंचाई	25.25	1.65	26.90
3	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	8.15	0.48	8.63
4	पथ निर्माण (राष्ट्रीय राजमार्ग)	0.78	0.09	0.87
5	ग्रामीण कार्य	5.96	10.31	16.27
6	लघु सिंचाई	12.02	0.23	12.25
7	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	59.48	5.33	64.81
8	पथ निर्माण	67.43	0.29	67.72
कुल		**184.52**	**25.46**	**209.98**

(स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

4.18 चेक एवं विपत्र

यह शीर्ष संव्यवहार के प्रारंभिक अभिलेखन के लिए एक मध्यस्थ लेखा उपकरण है, जिन्हें अंततः समायोजन/वापस कर दिया जाना है। लेखे के विभागीयकरण करने की योजना के अंतर्गत सरकार के दावों का भुगतान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों (पी0ए0ओ0) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के शाखाओं अथवा मंत्रालय/विभाग से मान्यता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से चेक आहरण द्वारा किया जाता है। जब दावों को उपयुक्त विपत्र फॉर्म में पी0ए0ओ0/विभागीय अधिकारी को दी जाती है, तो पी0ए0ओ0/विभागीय अधिकारी द्वारा वेतन आदेश की अभिलेखण एवं निर्धारित जाँच के उपरांत चेक निर्गत कर भुगतान किया जाता है। शीर्ष "चेक एवं विपत्र" सरकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी

किए गए भुगतान आदेशों (चेक आदि के माध्यम से) और इस तरह के भुगतान वास्तव में किए गए थे और सही ढंग से नामित किए गए थे, के बीच अंतर को दर्शाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत असमाशोधित शेष राशियों का निरंतर अस्तित्व सरकार के लेखे में दर्शाए गए नकद शेष को विकृत कर सकता है।

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त लेखे में, मुख्य शीर्ष 8670 "चेक एवं विपत्र" के अंतर्गत नकद शेष दर्शाता है कि चेक निर्गत हुए लेकिन, उनका नकदीकरण नहीं हुआ। 01 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष ₹ 171.31 करोड़ (जमा) था। वर्ष 2023–24 के दौरान, ₹ 1,94,189.97 करोड़ के चेक निर्गत किए गए जिसमें से ₹ 1,94,154.66 करोड़ का नकदीकरण किया गया, जिससे समापन शेष ₹ 206.62 करोड़ (जमा) 31 मार्च 2024 तक रहा।

इसके अलावा, डिजिटल भुगतान के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से दिए गए आदेश को संव्यवहार पुरा होने पर व्यय के रूप में माना जाता है। हालांकि, असमायोजित अग्रिम "ई–कुबेर (ई–भुगतान) विफल" संव्यवहार के मामले में, विफल संव्यवहार को 8658 मे उचंत लेखे में नामित किया जाता है। वर्ष 2023–24 के दौरान, ई–कुबेर (ई–भुगतान) विफल संव्यवहार के कारण ₹ 31.63 करोड़ की राशि को उचंत लेखे मे नामित किया गया। समापन शेष, विभिन्न मुख्य कार्यकारी शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षों में मूल रूप से नामित व्यय जो परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2024 तक बिहार सरकार का कोई नकद प्रवाह नहीं हुआ, को दर्शाता है।

"चेक एवं विपत्र" के अंतर्गत बकाया राशि, सरकार के नकद शेष को उस सीमा तक अतिकथन को दर्शाता है।

4.19 एकल नोडल लेखांकन (एस0एन0ए0)

केंद्र और राज्य दोनो स्तर पर नकदी प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार (जुलाई 2023) मे पी0एफ0एम0एस0, राज्य आई0एफ0एम0एस0 और आर0बी0आई0 का ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के एकीकृत ढ़ाँचे के माध्यम से सी0एस0एस0 फंड के लिए एस0एन0ए0–एस0पी0ए0आर0एस0एच0 (रियल टाइम सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड क्विक ट्रांसफर) नामक निधि प्रवाह संरचना शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत, राज्य सरकार को सी0एस0एस0 के अनुरूप प्रत्येक स्टेट लिंक्ड स्कीम (एस0एल0एस0) को लागू करने के लिए एकल नोडल एजेंसी (एस0एन0ए0) नामित करना था।

पी0एफ0एम0एस0 के आँकड़ों (26.08.2024 तक) के अनुसार, निम्नलिखित पाया गयाः–

i. मार्च 2024 तक एस0एन0ए0––एस0पी0ए0आर0एस0एच0 मॉडल के माध्यम से बिहार में छः योजनाएँ लागू की जा रही थी और एस0एन0ए0 के रूप में पंजीकृत 142 एजेंसियों को पी0एफ0एम0एस0 में 1,75,494 बाल एजेंसियों के साथ मैप किया गया था।

ii. राज्य सरकार को केन्द्रीय अंश की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर केंद्रीय अंश और तदनुरूप राज्य अंश को एस0एन0ए0 को अंतरित करना था, लेकिन केन्द्रीय और राज्य अंश को कोषागार से एस0एन0ए0 को अंतरित करने में 172 दिनों का विलंब हुआ।

iii. निधियों के विलंबित अंतरण (01.04.2023 से प्रभावी) के लिए सात प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भारत की समेकित निधि मे जमा नहीं किया गया था। ब्याज की यह राशि, निधि के अनुचित लेखांकन के गणना नहीं किए जाने के कारण, जमा नहीं की गयी।

iv. 31 मार्च 2024 तक, ₹ 389.20 का ब्याज करोड़ (प्राप्त निधि पर अर्जित) अभी तक द्विविभाजित नहीं किया गया था और न ही संबंधित समेकित निधियों में जमा किया गया था। इसके अलावा, एस0एन0ए0 खातों में पड़ी अव्ययित राशि ₹ 14,738.13 करोड़ को संबंधित सरकारी खातों में वापस किया जाना था। ये वृहत् शेष राशि वर्ष 2024–25 मे निधि जारी करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

v. वर्ष 2023–24 के दौरान, कोषागार द्वारा एस0एन0ए0 को कुल राशि ₹ 31,145.19 करोड़ विमुक्त की गयी। इसमें से, केवल ₹ 29,130.11 करोड़ व्यय के रूप में तथा ₹ 3,355.09 करोड़ अग्रिम के रूप में लेखांकित किया गया।

vi. सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार 2023–24 में, कुल हस्तांतरित राशि ₹ 31,145.19 करोड़ में से, राज्य सरकार ने केंद्रीय हिस्से के रूप में 18,231.24 करोड़ प्राप्त किए। हालांकि, पी0एफ0एम0एस0 के अनुसार, कुल प्राप्ति ₹ 30,847.49 करोड़ में से सरकार ने केन्द्रांश ₹ 18,173.89 करोड़ और राज्यांश ₹ 12,673.60 करोड़ एस0एन0ए0 को हस्तांतरित किया। सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार, ₹ 22,470.94 करोड़ सहायक अनुदान विपत्र के माध्यम से तथा ₹ 8,674.25 करोड़ पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक विपत्र के माध्यम से हस्तांतरित किये गये। महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय में एस0एन0ए0 से वास्तविक व्यय के सहायक दस्तावेज और विस्तृत अभिश्रव प्राप्त नहीं हुए।

मार्च 2024 के माह में 50 प्रतिशत से ज्यादा निधि विमुक्त हो गयी जिससे राज्य के पास अव्ययित राशि जमा हो गयी।

4.20 निष्कर्ष

i. राशि ₹ 70,877.61 करोड़ के 49,649 उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू0सी0), और राशि ₹ 9,205.76 करोड़ के 22,130 ए0सी0 विपत्र के विरूद्ध डी0सी0 विपत्र लंबित थे। यह प्रशासनिक विभागों में आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता हैं।

ii. राज्य सरकार ने वर्ष 2023–24 के दौरान, ब्याज सहित जमाओं पर ब्याज का प्रावधान एवं भुगतान करने की ₹ 144.29 करोड़ की देनदारी का निर्वहन नहीं किया।

iii. राज्य सरकार ने 19 कार्यशील एस0पी0एस0ई0, एक सांविधिक निगम और 15 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0, जिनके लेखे 31 मार्च 2024 तक (30 सितम्बर 2024 तक) अंतिमीकृत नहीं किये गये थे, को ₹ 58,896.62 करोड़ की बजटीय सहायता (अंश पूँजी, ऋण, प्रतिभूति, पूँजीगत अनुदान और अन्य) प्रदान की।

iv. राज्य सरकार ने अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में ₹ 53.48 करोड़ की गैर–बजट उधारी देयताओं को प्रदर्शित नहीं किया।

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में सुधार	जमाराशियों पर ब्याज के संबंध में देयता के गैर–निर्वहन में वृद्धि
विभागीय संव्यवहार का समाशोधन	वार्षिक लेखे के साथ पी0डी0 खातों का असमाशोधन
	निकायों/प्राधिकरणों के बकाया लेखे

4.21 अनुशंसाएँ

वित्त विभागः

i. लघु शीर्ष "800 प्राप्तियाँ" एवं "800 व्यय" के अंतर्गत वर्तमान में प्रदर्शित सभी मदों की व्यापक समीक्षा कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसी प्राप्तियां और व्यय, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार के परामर्श से उचित लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज की जाए।

ii. यह सुनिश्चित कर सकता है कि (क) सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि से परे लंबित सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्रों को समायोजित करे (ख) सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र को केवल बजट के व्यपगत हो जाने से बचने के लिए तो नहीं निकाले गए हैं।

iii. वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (एस0पी0एस0ई0) के प्रबंधन पर दबाव डाल सकता है।

पटना **(डॉ. संदीप रॉय)**
दिनांक : 28 मार्च 2025 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक : 02 अप्रैल 2025 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**